बुन्देलखण्ड महिला साख सहकारी समिति का परिचय

'सेवा' श्रमिक महिलाओं का एक सशक्त संगठन है। जो महिला श्रमिकों के सामाजिक, आर्थिक उत्थान हेतु कार्यरत है। यह संगठन महिलाओं से संबंधित सभी प्रकार के मुद्दों पर कार्य करता है। उनकी समस्याओं को समझ कर उनके निराकरण के प्रयास करता है, एवं श्रमिक महिलाओं को समाज में उचित स्थान पर लाने का प्रयास भी करते है।

इसी संदर्भ में 1995 में सेवा मध्यप्रदेश ने सागर सम्भाग द्वारा महिला मजदूरों की स्थिति के आकलन हेतु एक सर्वे करवाया गया।

चूंकि यह क्षेत्र बुन्देलखण्ड के रूप में जाना जाता है, अतः यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से यहाँ किसी भी प्रकार का उद्योग पनप नहीं पाया। जो कच्चा माल यहाँ बहुतायत से उपलब्ध है, उससे अन्य उत्पाद निर्माण हेतु कोई भी कल कारखाने यहाँ स्थापित नहीं हो सके। इसमें सबसे बड़ी रुकावट है, परिवहन के साधनों का अभाव एवं सुगम परिवहन।

इस क्षेत्र में जातिगत समस्या भी प्रमुख है। जाति के नाम पर कार्य का विभाजन भी किया जाता है। अतः मजदूर वर्ग में विशेष रूप से महिला मजदूरों की स्थिति बहुत ही दयनीय है चाहे वो सामाजिक स्थिति हो या आर्थिक स्थिति।

संस्था को मुख्य रूप से तीन प्रकार की मजदूरी करने वाली महिलाओं की समस्याओं को मद्दे नज़र रखते हुए अपने कार्य को करना था —

1. घर खाता मजदूर – जो सट्टेदार (दलाल) से कच्चा

माल घर पर लाकर सामान बनाती है जिसमें प्रमुख है - बीडी बनाना, अगरबत्ती बनाना, बड़ी-पापड़ बनाना एवं सिलाई करना।

2. बटाई पर खेती - वह मजदूर जो दूसरों के खेतों पर कृषि का कार्य करते है।

3. कार्य अभाव के कारण अस्थायी पलायन - वह मजदूर जिन्हें इस क्षेत्र में कहीं भी मजदूरी नहीं मिलती वह अपने परिवार के पालन-पोषण के लिये अन्य स्थानों की ओर पलायन करते है, जो अस्थायी होता है। यह मजदूर छः माह में पुनः अपने क्षेत्रों में आकर खेतों की कटाई से लेकर जंगली उपज भी जमा करते है। जिसमें तेंदूपत्ता एवं महुआ प्रमुख उपजें है।

उपरोक्त तीनों ही प्रकार की महिला मजदूरों की स्थिति अत्यन्त ही दयनीय है। वह स्वयं कमाती है, परिवार के पालन-पोषण में उनकी समान भागीदारी रहती है, परन्तु उनके कार्य की कहीं भी पहचान नहीं होती। ना ही समाज में और ना ही घर में उन्हें किसी भी प्रकार का निर्णय लेने की आजादी होती है।

'सेवा' ऐसी ही महिला मजदूरों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिये निरन्तर प्रयासरत है। ऐसी महिलाओं की पहचान कर उन्हें संगठित करने का कार्य करती है। इन महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में लाने हेतु, उनके अधिकारों की जानकारी देने हेतु संस्था उनके साथ निरन्तर शिविरों का आयोजन व छोटी-छोटी बैठकों का आयोजन करती रही है। इन सभी आयोजनों में महिलाएँ भाग तो लेती है किन्तु उन्हें यह समय बर्बाद करने जैसा लगता है, उनकी प्रायः यह शिकायते रहती है। — हमरी कोई नहीं सुनता, हम किसके पास शिकायत लेकर जाये, हमारे पास

इतना समय नहीं है, मजदूरी करें या अपने हक के लिये लड़े आदि।

उपरोक्त सभी कारणों से एक बात उभर कर आयी - आर्थिक स्वावलम्बन एवं अपनी कमाई के सही समायोजन का अभाव।

संस्था ने तभी स्वयं सहायता समूह के निर्माण का निर्णय लिया। सन् 1995 में घर खाता मजदूर (जिसमें बीड़ी बनाने वाली महिलायें प्रमुख थी) स्वयं सहायता समूह के गठन का कार्य आरम्भ किया।

स्वयं सहायता समूह के गठन में सबसे बड़ी समस्या थी, सदस्य बहनों का समूह में विश्वास। अतः बैठक मासिक रखी गई तथा बचत की रकम भी समूह अनुसार अलग-अलग (5 रु., 10 रु., 20 रु.) रखी गयी। सदस्य महिला का व्यक्तिगत बचत ब्यौरा रखने के लिये 2 रुपये का कार्ड बनवाया गया, जिसमें बचत व ऋण संबंधित जानकारी रखी जाती थी। यह कार्ड तथा समूह की समयावधि एक वर्ष रखी गई। ऋण फार्म सादा एक पेज का रखा गया। सभी सदस्यों की अनुमति से बचत तथा ऋण संबंधित सभी कार्यवाही बैठक में ही की जाने लगी। यहाँ तक कि अगले माह की बचत, ऋण की किस्त एवं अगला ऋण किस समूह को दिया जाये यह भी बैठक में तय हो जाता था। धीरे-धीरे जब सदस्यों में विश्वास जागा तब पहला ऋण 50/- रुपये का दिया गया, फिर दो वर्ष में 2000/- रु. तक का ऋण दिया जाने लगा। सारी कार्यवाही एक छोटी सी कॉपी में लिखी जाती है, जो समूह के पास ही रहती है। बैंक में खाता नहीं खोला जा सका क्योंकि इस प्रकार के समूह हमारे क्षेत्र में सम्भव ही नहीं थे।

बढ़ती बचत को देखते हुए ग्रामीण बैंक में समूह के खाते खोलने का प्रयास किया गया, जिसे खोलने में संस्था को आठ से दस बार तक प्रयास करना पड़ा। अध्यक्ष सचिव को बचत जमा करने के लिये यहाँ-वहाँ भटकना पड़ता था। अनपढ़ होने की वजह से कौन स्लिप भरे? जमा रकम भी सिक्कों के रूप में होती थी, जिसे कर्मचारी जमा करने में आनाकानी करते थे तथा उतनी ही परेशानी पैसा निकालने में भी होती थी

1998 तक हमारी संस्था ने २५० सदस्यों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया। किन्तु सभी समूहों की अपनी अपनी बचत होती थी, जो बहुत कम थी तथा ऋण की मांग बढ़ने लगी थी। बैंक से ऋण प्राप्त नहीं होता था, क्योंकि उन्हें समूह पर विश्वास नहीं था।

उसी समय सेवा मध्यप्रदेश ने सहकारी समिति के साथ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, और छतरपुर में महिला मजदूरों की 'साख सहकारी समिति' के गठन का प्रयास किया। सहकारी विभाग को भी विश्वास नहीं था, कि मजदूर महिलायें साख सहकारी समिति चला पायेगी, लगातार छः माह तक प्रयास किये गये। अंततः बुन्देलखण्ड महिला साख सहकारी समिति का गठन हुआ। २५ महिलाओं का 100% की अंशपूंजी से बैंक में खाता खोला गया। सभी समूहों की महिलाओं को नाम मात्र का सदस्य बनाया गया, जिससे सभी की बचत इकट्ठी हुई और रकम बड़ी दिखने लगी। समूह की बजाय - समूह की गारण्टी पर व्यक्तिगत ऋण दिया जाने लगा। जो धीरे-धीरे २०००/- रू. से बढ़कर ५०००/- रू. तक हो गया।

सहकारी समिति को व्यवस्थित रूप से संचालित करने हेतु संचालक मण्डल को प्रशिक्षण की आवश्यकता थी। समय - समय पर सहकारी विभाग, सहकारी ट्रेनिंग सेन्टर के अतिरिक्त C.D.F. काजी पेट (हैदराबाद) F.W.W.B. अहमदाबाद, सेवा भारत, माइक्रो फायनेन्स स्कूल अहमदाबाद तथा बेसिक्स जैसी संस्था ने हमारी सहकारी समिति की बहुत मदद की।

सबसे पहला ऋण F.W.W.B. अहमदाबाद से 30,000/- रू. का मिला। जिससे संस्था में बाहरी ऋण लेना व वापस करना सीखा, तथा संस्था के सदस्यों को अपने विकास का रास्ता मिला। 2005 में बेसिक्स ने विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण से प्रशिक्षित कर संस्था को अच्छी स्थिति में पहुँचाया और इण्डियन ग्रामीण सर्विसिस से सदस्यों के लिये ऋण भी उपलब्ध करवाया। यह ऋण राशि 50,000/- रू. से शुरू होकर 25,000,00/- रू. तक पहुँची। संस्था द्वारा सभी बाहरी ऋण समय पर वापस किये। 2009 में S.B.I. से 500000/- र का ऋण लेकर उसे समय पर वापस किया गया।

संस्था बाहरी ऋण ले रही है, व समय पर उसकी वापसी भी कर रही है। किन्तु संस्था अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही है, जिसके कारण यह है—

1. ऋण वापसी कि समय सीमा काफी कम होती है।
2. सदस्यों की संख्या देखते हुए ऋण की रकम कम है।
3. मांग के अनुसार संस्था ऋण नहीं दे पा रही है।
4. बाहरी ऋण समय पर चुकाने के प्रयास में

संस्था सदस्यों को भी कम समय के लिये ऋण देती है।

5) सदस्यों कि बचत क्षमता भी कम है। बचत 5/-₹ से बढ़कर आज 100/-₹ से 5000/-₹ तक बढ़ी है, परन्तु ऋण की मांग भी 30,000/-₹ से बढ़कर 50,000/-₹ हो गयी है।

वर्तमान में अंशधारी सदस्यों की संख्या 2595 है। नाममात्र के सदस्यों की संख्या 5022 है, जिसे संस्था 2020 तक 15000 तक पहुँचाना चाहती है।

संस्था अपनी सदस्य बहनों के लिये ऋण, बचत कार्यक्रम ही नहीं चलाती, साथ ही उन्हें अन्य सेवायें भी उपलब्ध कराती है जैसे - लघु बीमा, वित्तिय साक्षरता आदि।

उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त संस्था अपने सदस्यों के सशक्तिकरण का कार्य भी करती है। अपने सदस्यों की सामाजिक, आर्थिक उन्नति के साथ ही उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करती है।

विकास की धारा

मेरा नाम श्रीमती पूनम स्व. अशोक गुप्ता है। मैं बुन्देलखण्ड में बिजावर की रहने वाली हूँ। साख सहकारी समिति से सन् २००२ में जुड़ी। मेरा विवाह जिला झाँसी (उ.प्र.) में हुआ। असमय मेरे पति का निधन हो गया, तब मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर बिजावर आ गई। पढ़ी लिखी ना होने के कारण मेरे पास कोई हुनर नहीं था, सिर्फ नमकीन बनाना जानती थी क्योंकि यह कार्य मैं अपने पति के साथ किया करती थी। मायके में भी मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, ताकि अपने बच्चों का पालन पोषण स्वयं कर सकूँ। पिताजी ने मुझे एक खाली प्लाट दे दिया, जिस पर मैंने टीनशेड का कमरा बनवाया। बुन्देलखण्ड महिला साख समिति से २०००/- ₹ का ऋण लेकर नमकीन बनाने का कार्य शुरू किया। जब काम अच्छा चलने लगा तो मैंने ५०००/- ₹ व १०,०००/- ₹ तक का ऋण लिया।

मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या थी तैयार माल को बेचना, क्योंकि अधिकतर माल की बिक्री उधारी पर होती थी, और पैसे वापस समय पर नहीं आते थे।

२०१२ में मैंने अपने कार्य में परिवर्तन किया। संस्था से ट्रेनिंग ली और नमकीन की जगह चाट बनाने का काम शुरू किया। अब तक मेरे बच्चे भी बड़े हो गये और वो भी मेरे काम में हाथ बटाने लगे।

इस क्षेत्र में व आसपास लगने वाले सभी मेलों में मैं अपनी चाट की दुकान लगाती हूँ, जिससे मेरी आमदनी बढ़ने लगी। मैंने अपना मकान पक्का बनवाया।

वर्तमान में मैं चाट के साथ-साथ गर्मी में कुल्फी भी बनाती हूँ। आज मेरे २० हाथ ठेला चलते हैं, बहुत से बेरोजगारों को रोजगार भी देती हूँ।

शादी विवाह में केटरिंग एवं सजावट का ठेका भी लेती हूँ। मेरी मंजिल है कि मेरा स्वयं का टेंट, मैरिज गार्डन हो।

संस्था में वर्तमान में मेरी बचत तो है ही, साथ ही सावधि जमा भी है। दोनों बच्चों का आवर्ति खाता है और मैं ग्रहण समिति में भी हूँ।

2) मेरा नाम जग्गी बाई मस्ताना है। मैं सन् 1998 से संस्था से जुड़ी हूँ। मैं ग्राम पठापुर में रहती हूँ। मैं दाई का काम करती थी, मेरे पति की भजन मण्डली है। मैं निम्न जाति की हूँ, इसलिये लोग मुझे अपने घर तभी बुलाते थे जब उनके घर बच्चा पैदा होना होता था। बाकि लोग हमें अछूत मानते थे।

संस्था से जुड़ने के बाद मुझमें आत्म विश्वास जागा। धीरे-धीरे मैं गाँव में महिला जागृति का कार्य करने लगी। मैं समूह में २०/- रु महिने की बचत करती थी और साथ ही मासिक बैठक भी लगाती थी। 'सेवा' की ट्रेनिंग ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं महिलाओं के पंचायत से जुड़े सभी कार्य करवाती एवं समय पर उन्हें लाभ भी दिलवाती हूँ। पाँच वर्ष बाद मैंने चुनाव लड़ा और जीती भी। मैं पंचायत की स्वास्थ्य समिति की अध्यक्ष रही हूँ। मैंने संस्था से 1000/- रु के ग्रहण की शुरूआत की, फिर गाँव से बाहर जाने व आने की असुविधा के कारण पति की मोटर साइकिल हेतू २०,०००/- रु का ग्रहण लिया। मैंने सभी ग्रहण समय पर चुकाये।

वर्तमान में मेरे पति और मैं आकाशवाणी से भी गीत गाते है। हमारी अच्छी कमाई हो जाती है। मैं वर्तमान में संस्था के स्वास्थ्य कार्यक्रम की समिति में भी हूँ।